

संख्या - 004/वी.जी.एल/18  
भारत सरकार  
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,  
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,  
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023  
दिनांक: 02.06.2005

**कार्यालय आदेश सं० 32/6/05**

**विषय: छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, आदि धोखाधड़ी मामलों में आयोग की सलाह - आयोग को संदर्भ भेजने के संबंध में ।**

छुट्टी यात्रा रियायत धोखाधड़ी, यात्रा भत्ता धोखाधड़ी आदि की प्रकृति के कुछ मामलों में, आयोग संगठनों को सलाह देता रहा है कि उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करें । इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं की जानी है । आयोग के अभिप्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई । आयोग ने पहले ही दिनांक 13.04.04 के अपने कार्यालय आदेश सं० 23/4/04 में "सतर्कता पहलू" को स्पष्ट किया है तथा **कोई भी त्रुटि उपर्युक्त प्रकृति की त्रुटियों सहित जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, सतर्कता मामला होगा ।** आयोग का अभिप्राय केवल यह था कि ऐसी त्रुटियों को निश्चित रूप से गंभीर कदाचार के रूप में लिया जाना चाहिए तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी को इन मामलों में कार्रवाई करने की आवश्यकता है । **केवल उनको द्वितीय चरण की सलाह के लिए आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।**

मुख्य सतर्कता अधिकारी इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं ।

ह०/-  
(अंजना दूबे)  
उप सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी